संख्या-56/2015/1647/26-3-2015-10(37)/2004

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत अनुसूचित जनजाति की कक्षा-9 व 10 में अध्ययनरत छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तगत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-67/26/ज.जा.वि./15-16, दिनांक-22-05-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तगत आयोजनागत पक्ष की योजना 'अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान' के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधान धनराशि रूपया-5.00/- लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रूपया-2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय समय-समय पर निर्गत किये गये स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक पात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने पर किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलें में शासन के पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें प्राप्त कर व्यय किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत पाठ्यपुस्तकों का वितरण शासनादेश संख्या-399/26-ब0प्र0-2010-10(37)/2004, दिनांक-10 मई, 2010 के साथ संलग्नक में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वास्तविक छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर जनपदवार आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय की गयी धनराशि की सूचना वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ व्यय की गयी का उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-10- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (ब्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0संख्या-56/2015/1647(1)/26-3-20155 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।
6- गार्डफाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।